सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **348 / 2018**

दायर दिनाँक **24.10.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सोहनदास पुत्र छगनदास जाति साद निवासी धनकोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	वनाम्	1. पन्नालाल पुत्र रामपाल 2. सुरेश पुत्र नारायणदास 3. दयाराम पुत्र नारायणदास 4. जीवणदास पुत्र रूपदास 5. महेन्द्र स्वामी पुत्र छगनदास 6. सत्यनारायण पुत्र झूमरदास समस्त जाति साद निवासीगण धनकोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तिलोकाराम पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर 8. गोपीराम पुत्र गुणाराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 9. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली 10. उप पंजीयक नायब तहसीलदार मौलासर 11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.
व
अवैध व शून्य घोषित करने बैचाण दिनांक 07.01.2015 पंजीकृत रसीद संख्या 97 दिनांक 08.01.2015 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 120 क्रम संख्या 30 / 15

उपस्थितः–

1. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **26.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के कब्जा काश्त व पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा खसरा संख्या 688 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 991 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद धनकोली में अवस्थित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 348/2018
दायर दिनाँक 24.10.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
सोहनदास बनाम पन्नादास, वगैरा।

उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादी के पिता छगनदास व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित थी। वादी व प्रतिवादीगण की वंशावली वाद के साथ पेश है।

उपरोक्त खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा खसरा संख्या 688 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 991 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद धनकोली के खेताय में अभी वादी के दादा रामपाल व रूपदास के बीच में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया है। परन्तु बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादी के पूर्वज अर्थात दादा रामपाल अपने 1/2 भाग पर काबिज काश्त थे तथा उनके बाद वादीगण के पिता छगनदास व पन्नादास का उक्त 1/2 कुषि भूमि में 1/2–1/2 भाग पर काबिज काश्त थे तथा पन्नालाल ने खसरा संख्या 650 में अपना हिस्सा जरिये ईकरारनामा वादी के पिता छगनदास को दिनांक 16.11.1991 को कर दिया था। उक्त खसरा नम्बर 650 के उक्त ईकरारनामा दिनांक 16.11.1991 के बाद 11 बीघा 16 बिस्वा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के पिता काबिज हो गये तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के कब्जा काश्त की भूमि हो गयी।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के पिता को खसरा नम्बर 650 में अपने हिस्से का बैचाण दिनांक 16.11.1991 को वादी के पिता छगनदास के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा उक्त खसरा नम्बर 650 पर अपने हिस्से का कब्जा छगनदास को संभला दिया था और उक्त ईकरारनामा के निष्पादन के बाद खसरा नम्बर 650 के आधे भाग पर कब्जा काश्त वादी के पिता का ही था तथा वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त खसरा नम्बर 650 के 1/2 भाग पर वादी व प्रतिवादी संख्या 05 का है। जो आज दिन तक निरन्तर चला आ रहा है। उक्त ईकरारनामा में बेची गयी भूमि की रजिस्ट्री करवाने का एक पत्र दिनांक 20.01.1995 को प्रतिवादी संख्या 01 पन्नालाल ने वादी के पिता छगनदास को लिखा था और उस पत्र में खसरा नम्बर 650 की विक्रित भूमि की रजिस्ट्री करवाने का आश्वासन भी दिया था। मूल पत्र दिनांक 20.01.1995 का पेश है।

वादी के पिता छगनदास व प्रतिवादी संख्या 01 पन्नालाल के बीच वर्षो पूर्व मौखिक बंटवारा होकर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से पहले वादीगण के पिता छगनदास एवं अब वादीगण का कब्जा काश्त चले आ रहे है जो निम्न है:–

प्रतिवादी संख्या 05 महेन्द्र स्वामी व वादी सोहनदास स्वामी के हक व कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बीघा 18 बिस्वा खुद के हिस्से की व 05 बीघा 18 बिस्वा पन्नालाल से जरिये ईकरारनामा दिनांक 16.11.1991 को खरीद की गई कुल 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 688 व 991 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 3.5 बिस्वा भूमि।

प्रतिवादी पन्नालाल के हक व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि, खसरा नम्बर 688 व 991 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 3.5 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी पन्नालाल ने खसरा नम्बर 650 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पिता को विक्रय कर दिया था। इस प्रकार प्रतिवादी पन्नालाल के खसरा नम्बर 985, 688 व 991 में से कुल 03 बीघा ही हिस्से में शेष रहती है तथा इसी अनुरूप वादी व प्रतिवादी पन्नालाल काबिज है तथा कब्जा काश्त करते आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 05 उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर वाद के अनुसार लगतार काबिज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 05

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा खसरा नम्बर 650 की उसके हक हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा 16.11.1991 को सप्रतिफल खरीद करने के बाद से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर 650 में प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है तथा कालान्तर में कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 05 का ही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने गलत खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 06 सत्यनारायण को राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके गलत पंजीकृत बैचाण दिनांक 07.01.2015 को टाईप करवाकर दिनांक 08.01.2015 को रसीद संख्या 97 पर इसका पंजीकरण करवा दिया है जिससे उक्त वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के पिता द्वारा खरीद सुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 06 का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गया है। जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 06 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को उक्त खरीद सुदा खेत में केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण हर समय दखल अन्दाजी करते है। प्रतिवादी संख्या 01 ने गलत खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 06 को उक्त बैचाण निष्पादित कर दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ने खसरा नम्बर 650 की भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये ईकरारनामा दिनांक 16.11.1991 को ही वादी के पिता को विक्रय कर दिया था तथा कब्जा भी संभला दिया था। परन्तु गलत खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 01 ने लालचवंश उक्त भूमि का बैचाण गलत रूप से बिना कब्जे के प्रतिवादी संख्या 06 को कर दिया जो बैचाण वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के हित व अधिकारों के प्रति अवैध व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। जिस हेतु वाद पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 05 अपने हिस्से की व अपने पिता द्वारा क्रय की गयी भूमि पर काबिज है तथा उसी अनुरूप काबिज है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 05 के खसरा नम्बर 650 की भूमि में से गलत खातेदारी की आड में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करा दिया व उक्त गलत विक्रय विलेख की आड में प्रतिवादी संख्या 06 ने अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा कर गलत खातेदारी की आड में वादी के अधिकारों को चुनौती देने लग गया जो बैचाण वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के अधिकारों के प्रति अवैध व प्रभाव शून्य है। गलत खातेदारी की आड में वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को उक्त खसरा नम्बर 650 की भूमि से बेदखल करने की धमकिया दे रहे है। वादी खसरा नम्बर 650 में जरिये ईकरारनामा खरीदी गई भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में कराना चाहते है। जिस हेतु यह घोषणा खातेदारी का भी वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि :–

वाके सरहद धनकोली के खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 (11 बीघा 16 बिस्वा) भाग का स्वतंत्र खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 06 सत्यनारायण का नाम उक्त खसरा में से हटाया जावें। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की डिक्री वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करने की कृपा करावें।

यह है कि गलत खातेदारी की आड में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बिना कब्जे के कराये गये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 08.01.2015 रसीद संख्या 97 निष्पादित कराया है वह बैचाण वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के हित व अधिकारों के प्रति अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किये जाने की डिक्री वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित करने की कृपा करावें तथा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 348/2018
दायर दिनाँक 24.10.2018, निर्णय दिनाँक 26.12.2018
सोहनदास बनाम पन्नादास, वगैरा।

निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने की कृपा करावें कि वादीगण के कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 650 की भूमि में प्रतिवादी सत्यनारायण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें तथा नही किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, प्रदर्श–1 ईकरारनामा, प्रदर्श–2 रसीद, प्रदर्श–3 से प्रदर्श–5 जमाबन्दी की नकले, प्रदर्श–6 बैचाण की प्रति पेश किये हैं।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद धनकोली के खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 भाग (11 बीघा 16 बिस्वा) का वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 06 सत्यनारायण का नाम उक्त खसरा में से हटाया जाता हैं। खसरा संख्या 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 688 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 11 बिस्वा व खसरा संख्या 991 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा में से 12 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 03 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बिना कब्जे के कराये गये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 08.01.2015 रसीद संख्या 97 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 120 क्रम संख्या 30/2015 निष्पादित कराया है वह बैचाण वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के हित व अधिकारों के प्रति अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 650 की भूमि में प्रतिवादी सत्यनारायण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 26.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 348/2018 दायर दिनाँक 24.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. सोहनदास पुत्र छगनदास जाति साद निवासी धनकोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पन्नालाल पुत्र रामपाल 2. सुरेश पुत्र नारायणदास 3. दयाराम पुत्र नारायणदास 4. जीवणदास पुत्र रूपदास 5. महेन्द्र स्वामी पुत्र छगनदास 6. सत्यनारायण पुत्र झूमरदास समस्त जाति साद निवासीगण धनकोली तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तिलोकाराम पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर 8. गोपीराम पुत्र गुणाराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला नागौर 9. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली 10. उप पंजीयक नायब तहसीलदार मौलासर 11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.
व
अवैध व शून्य घोषित करने बैचाण दिनांक 07.01.2015 पंजीकृत रसीद संख्या 97 दिनांक 08.01.2015

दिनाँक 26.12.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद धनकोली के खसरा संख्या 650 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 भाग (11 बीघा 16 बिस्वा) का वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 06 सत्यनारायण का नाम उक्त खसरा में से हटाया जाता हैं। खसरा संख्या 985 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा संख्या 688 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 11 बिस्वा व खसरा संख्या 991 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा में से 12 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा में से 01 बीघा 03 बिस्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 05 को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

2-2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में बिना कब्जे के कराये गये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 08.01.2015 रसीद संख्या 97 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 120 क्रम संख्या 30/2015 निष्पादित कराया है वह बैचाण वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के हित व अधिकारों के प्रति अवैध व प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 05 के कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 650 की भूमि में प्रतिवादी सत्यनारायण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **26.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner